न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कविता गोदारा, आर0ए0एस0

वाद सं :: 110/2025
जी0सी0एम0एस0नं0 :: 2025/222

हिम्मत सिंह पुत्र सवाई सिह उम्र साल,जाति राजपूत नि0 ग्राम गोरधनपुरा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।

वादी,

बनाम

1. गिरवर सिंह पुत्र सवाई सिंह जाति राजपूत नि0 ग्राम गोरधनपुरा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।
2. कमला पुत्री गुलाबचंद महरिया जाति जाट नि0 कसरडा तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला सीकर।
3. पंजाब नेशनल बैंक शाखा खाटूश्यामजी जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. तहसीलदार,दांतारामगढ़ तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर ।राज0।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–1. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत,वकील वादी की ओर से।
2. ,, मनीष कुमार,प्रति0सं0 1 व 2 की ओर से।

दावा बाबत बंटवारा एंव स्थायी निषेघाज्ञा अंतर्गत धारा
53, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक ::15.07.2025

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमि ख0नं0 378/742 रकबा 1.0000 है0 वाके ग्राम गोरधनपुरा प0ह0 मंढा मदनी भू0अ0नि0 क्षेत्र पलसाना तहसील दांतारामगढ़, सीकर की तन में अवस्थित है। भूमि ख0नं0 377 रकबा 0.0100 है0 ख0नं0 378 रकबा 0.9600 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.9700 है0 वाके ग्राम गोरधनुपरा प0ह0 मंढा मदनी भू0अ0नि0 क्षेत्र पलसाना तहसील दांतारामगढ़, सीकर की तन में अवस्थित है। वाद की मद सं0 1 में वर्णित भूमि वादी एंव प्रति0सं0 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की तथा मद सं0 2 में वर्णित भूमि वादी एंव प्रति0सं0 1 की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। मद सं0 1 में वर्णित भूमि में वादी का हिस्सा 1/2, प्रति0सं0 1 का 1/5 एंव प्रतिवादिया सं0 2 का 3/10 हिस्सा तथा वाद पत्र की मद सं0 2 में वर्णित भूमि में वादी का हिस्सा 1/2 तथा प्रति0सं0 1 का 1/2 हक हिस्सा एंव कब्जा काश्त है तथा इसी अनुरूप मौके पर अपने–अपने हिस्से के अनुसार अलग–अलग काबिज होकर उपयोग करते चले आ रहे है। पक्षकारों के मध्य आज तक विधिवत रूप से बाई मिट्स एंड बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ है। वादी एंव प्रति0सं0 1 व 2 ने अपनी

कविता
सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

आपसी सहमति से वाद पत्र की मद सं0 1 व 2 में वर्णित भूमियों का मौके पर बाहमी बंटवारा कर रखा है, जिसके अनुसार वाद पत्र की मद सं0 1 में वर्णित भूमियों में संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार वादी को पूरब दिशा में 1/2 हिस्सा तथा प्रति0सं0 1 को 1/5 हिस्सा मध्य भाग का जो वादी के हिस्से से पश्चिमी ओर तथा प्रतिवादिया सं0 2 को प्रति0सं0 1 के लगते ही अंतिम पश्चिमी कोना दिशा की ओर का हिस्सा दिया गया है। इसी प्रकार वाद पत्र की मद सं0 2 में वर्णित भूमि में वादी को पश्चिमी दिशा की ओर 1/2 हिस्सा तथा प्रति0सं0 1 को पूरब दिशा की ओर का 1/2 हिस्सा बाहमी बंटवारे में दिया गया है तथा इसी अनुरूप मौके पर काबिज है। वादी को पूरब दिशा की भूमि ख0नं0 378/742 मे जो हिस्सा प्राप्त हुआ है उसके उत्तरी ओर जो भूमि ख0नं0 377 व 378 है। वादी का हिस्सा 1/2 पश्चिमी दिशा की ओर तथा प्रति0सं0 1 को पूरब दिशा की ओर 1/2 हिस्सा बाहमी बंटवारे में प्राप्त हुआ है तथा वादी व प्रति0सं0 1 को भूमि ख0नं0 377 व 378 में आने जाने के लिए वादी ने अपने हिस्से में से 12 फीट का रास्ता छोडा है तथा प्रति0सं0 1 ने भी 12 फीट चौडा रास्ता अपने हिस्से में से छोडा है तथा ख0नं0 377 रकबा 0.0100 है0 गै0मु0 चाह ।कुंआ। जिसमें वादी व प्रति0सं0 1 दोनों का 1/2, 1/2 हिस्सा शामलाती रहेगा। वादी एंव प्रति0सं0 1 व 2 के मध्य आपस में प्रेम भाव रहा है। इस कारण पूर्व में उनके मध्य आपस में किसी तरह का विवाद वादग्रस्त भूमि हक, हिस्से एंव कब्जे, काश्त के संबंध में नहीं रहा है। दिनांक 25.08. 2024 को वादी ने प्रति0सं0 1 व 2 को विधिवत रूप से बंटवारा करवाने तथा अलग–अलग खाता व अलग लगान निर्धारित करवाने के लिए कहा तो वे स्पष्ट रूप से इंकार हो गये इस कारण वादी को बंटवारे का वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वाद पत्र पेश कर वाद की मद सं0 11 की उप मद क,ख,ग, घ अनुसार वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 व 2 जरिये वकील उपस्थित आए। प्रति0सं0 3 व 4 की जरिये रजि0 डाक द्वारा तामील हो चुकी है,लेकिन हाजिर नहीं आए। वकील उभय पक्ष के निवेदन पर प्रकरण में दिनांक 17.06.25 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से बंटवारा प्रस्ताव चाहे जाने पर तहसीलदार, दांतारामगढ़ ने जरिये पत्रांक भू0अ0/2025/3750 दिनांक 04.07.2025 से बंटवारा प्रस्ताव भिजवाये जो शामिल पत्रावली किये गये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एंव रिपोर्ट तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित भूमियां संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमिया है तथा पक्षकारान तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा जरिये पत्रांक भू0अ0/25/3750 दिनांक 04.07.25 के द्वारा भिजवाये गये बंटवारा प्रस्ताव अनुसार फाईनल डिक्री जारी करने पर सहमत है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर आराजी कृषि भूमि ख0नं0 378/742 रकबा 1.0000 है0 वाके ग्राम गोरधनपुरा प0ह0 मंढा मदनी तहसील दांतारामगढ़, सीकर की तन में अवस्थित एंव भूमि ख0नं0 377 रकबा 0.0100 है0 ख0नं0 378 रकबा 0.9600 है0 कुल किता 2 कुल

राजस्व अपील अधिकारी (मु.) सीकर

रकबा 0.9700 है0 वाके ग्राम गोरधनुपरा प0ह0 मंढा मदनी तहसील दांतारामगढ़, सीकर में निम्न प्रकार वादी एंव प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं:–

क्र. स.	नाम खातेदार	ख0 नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	कमला पुत्री गुलाबचंद महरिया हिस्सा पूर्ण जाति जाट नि0 कसरडा वाया जाजोद शहर सीकर पिन कोड 332722 जिला सीकर राज्य राज0 खातेदार	378/742/1	0.3000 है0	चाही 4	
		किता 01	0.3000 है0	चाही 4	
2.	गिरवर सिंह पुत्र सवाई सिह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	378/742/2	0.2000 है0	चाही 4	
		किता 01	0.2000 है0	चाही 4	
3.	हिम्मत सिंह पुत्र सवाई सिह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण पंजाब नेशनल बैंक शाखा खाटूश्यामजी	378/742/3	0.500 है0	चाही 4	
		किता 01	0.500 है0	चाही 4	
4.	हिम्मत सिंह पुत्र सवाई सिह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/2 पंजाब नेशनल बैंक शाखा खाटूश्यामजी	378/1	0.0100 है0	चाही 4	
	गिरवर सिंह पुत्र सवाई सिह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	किता 01	0.0100 है0	चाही 4	
5.	हिम्मत सिंह पुत्र सवाई सिह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा0 देह खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण पंजाब नेशनल बैंक शाखा खाटूश्यामजी	378/2	0.4800 है0	चाही 4	
		किता 01	0.4800 है0	चाही 4	
6.	गिरवर सिंह पुत्र सवाई सिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा0 देह खातेदार	3780/3 377 कुंआ	0.4700 है0 0.0100 है0	चाही 4 गै0मु0चाह	0.00
		किता 2	0.4800 है0 –	–	

तहसीलदार, दांतारामगढ़,सीकर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे। तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा भिजवाया गया विभाजन प्रस्ताव पत्रांक भू0अ0/ 2025/3750 दिनांक 04.07.2025 निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर